



उत्तर प्रदेश UTTAR



महाराष्ट्र (महो)



महाराष्ट्र (महो)

विक्रय पत्र

- विक्रय मूल्य 48,34,256/- रुपये
- विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- विक्रित भूमि अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम आवादी घोषित है तथा मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः आवासीय निर्धारित दर

मिथले

Sumit

cas

11 0000
727

जिन अर्थों में यह दो के जो दिखाने हैं
प्रति पूर्वक दिखाने में

11 0000
727



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Yeh. Saradhana (Meerut)



795408

. 2 .

- 2500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक दर पर अर्थात्
- 50,75,847/- रुपये पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- > कुल देय स्टाम्प अकन 3,55,350/- रुपये
- > पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।
- > स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- > विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

मिया लाल

Suman Lata

Am



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795487

. 3 .

- केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

विक्रय पत्र ओर से श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री अनिल कुमार व श्रीमती सुमन पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह,

मिथलेश

Suman

योगेन्द्र सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795496

निवासीगण ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील
सरधना जिला मेरठ -----प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

श्री 0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.
एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली,
द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा

निवासीगण

Sunder Kumar

Om



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 5 .

निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई
दिल्ली द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि भूमि खाता संख्या 00103 के खसरा नम्बर
1609मि0, रकबा 0.2020 हे0 शून्य दशमलव दो शून्य
दो शून्य हेक्टेयर, लगान 8.80 रुपये सालाना स्थित
ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला

निपलेश

Sumantra

2008